प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.09.2024

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रूपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण- दिनांक 26.07.2024 को आवेदक सौरभ पुत्र रामकुमार उर्फ बबलू निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद ने थाना मोदीनगर पर एक तहरीर दी कि अभियुक्त अमित पुत्र वीर सिंह गुर्जर निवासी सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर आवेदक सौरभ व उसके पिता रामकुमार उर्फ बबलू को घर जाते समय सीकरी फाटक पर गोली मार दी जिससे आवेदक के पिता रामकुमार उर्फ बबलू की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गयी तथा आवेदक सौरभ गोली लगने के कारण गम्भीर रुप से घायल हो गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गईं। तत्पश्चात दिनांक 26.07.2024 को ही एसओजी टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तों राहुल, अमित, आशू पुत्रगण वीर सिंह निवासीगण सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त पिस्टल, तमंचा व मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 06.08.2024 को अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र इच्छा सिंह निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 10/08/2024 को वांछित वीर सिंह पुत्र इच्छा सिंह निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा दिनांक 16.08.2024 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद ने मा0 न्यायालय स्पेशल जज एस सी./एस.टी. एक्ट गाजियाबाद.में आत्मसमर्पण किया गया जिसको मा0 न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

दिनांक 11.09.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 50,000/- रु0 के ईनामी अपराधी आकाश उर्फ महादेव पुत्र यशपाल निवासी विश्वकर्मा बस्ती सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद , उम्र वर्ष 28 को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर अभियुक्त आकाश उर्फ महादेव उपरोक्त ने बताया कि साहब मेरी राहुल पुत्र हरबीर सिह नि0 सीकरी खुर्द के साथ काफी दिनो से दोस्ती है, पिछले वर्ष अगस्त 2023 में बब्लू उर्फ रामकुमार निवासी कलछीना जिसकी कृष्णा विहार मोदीनगर जिनकी दूध की डेयरी है उसी डेरी पर राहुल व उसके परिवार वालो का झगडा हो गया था जिसमें मारपीट में राहुल के चाचा वीर सिंह को गम्भीर चोट आयी थी । इस संबंध में राहुल के चाचा ने थाना मोदीनगर पर बब्लू उर्फ रामकुमार पक्ष के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था। इसके करीब 06 माह बाद बब्लू उर्फ रामकुमार ने राहुल के परिवार वालो के विरूद्ध कोर्ट से आदेश कराकर मुकदमा लिखा दिया था। इसी बात को लेकर के राहुल के परिवार वालों का बब्लू उर्फ रामकुमार एवं इनके

परिवार के लोगो के प्रति आक्रोश था और ये लोग उससे बदला लेना चाहते थे। जिसको लेकर ही दिनांक 25.07.2024 को मैं व राहुल, अमित, राजेन्द्र, आशू, अंकित व वीर सिंह ने मिलकर एक राय होकर बब्लू उर्फ रामकुमार व उसके बेटे सौरभ को जान से मारने की नियत से सीकरी रेलवे फाटक बैरियर के पास सीकरी की ओर खड़े थे तभी मैने योजना के तहत रेलवे फाटक सीकरी के दूसरी ओर से बब्लू उर्फ रामकुमार व उसके बेटे सौरभ को अपनी मोटर साइकिल से आने का इशारा किया था। ये सब लोग तैयार हो गये थे और जैसे ही बब्लू उर्फ रामकुमार व उसका बेटा सौरभ इनके सामने सड़क पर पहुँचे तो अमित ने पिस्टल से व आशू ने तमंचे से दोनों के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये। जिसमें सौरभ बच कर के भाग गया था और बब्लू उर्फ रामकुमार वहीं गोली लगने से गिर गया था। इसके बाद हम लोग मौके से फरार हो गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

आकाश उर्फ महादेव पुत्र यशपाल निवासी विश्वकर्मा बस्ती सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद , उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना मोदीनगर पर उपरोक्त हत्या की घटना के सम्बन्ध में एक मुकदमा पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त आशु पुत्र सुरेश सिंह निवासी पुनीत एन्कलेव पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा प्राप्त लोकेशन के आधार पर 6 कुटी मैन बाजार पहाड गंज थाना क्षेत्र पहाडगंज दिल्ली से अभियुक्त आशु शर्मा पुत्र सुरेश सिंह निवासी पुनीत एन्कलेव पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा पीड़िता को बरामद कर उक्त मुकदमें में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 BNSS की कार्यवाही की गयी व धारा 183 BNSS के बयानों की कार्यवाही की जा रही है। धारा 180 BNSS के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 87/65(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त आशु ने बताया कि इस लड़की से मेरी जान पहचान हो गयी थी, मैं इस लड़की से बात करने लगा था। मैं एक दिन इस लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मैंने इसको बहला-फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आशु शर्मा पुत्र सुरेश सिंह निवासी पुनीत एन्कलेव पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 10.09.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी श्री विनय पुत्र श्री जितेन्द्र निवासी मुंशी हरपाल कालोनी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी के 02 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अज्ञात चोर की गिरफ्तारी हेतु थाना वेव सिटी पर त्वरित दो टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 11.09.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त रोहित राणा पुत्र विरेन्द्र राणा निवासी ग्राम छोलस थाना जारचा गौतमबुद्धनगर, उम्र 30 वर्ष को अर्बन होम्स सोसायटी आदित्य वर्ल्ड सिटी के सामने वाले रोड पर सोसायटी के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी किये 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त रोहित राणा उपरोक्त ने बताया कि मैं नशे का आदि हूँ। नशे का शौक पूरा करने के लिए मैं चोरी करता हूँ। चोरी करके चोरी किया हुआ माल बेचकर मैं शराब का नशा करता हूँ। मैने ही यह मोबाइल चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

रोहित राणा पुत्र विरेन्द्र राणा निवासी ग्राम छोलस थाना जारचा गौतमबुद्धनगर, उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त रोहित के विरूद्ध थाना सिहानी गेट कमिश्नरेट गाजियाबाद में लूट का 01 मुकदमा एवं थाना वेव सिटी में 01 मुकदमा घर से मोबाइल चोरी का तथा थाना जारचा कमि0 गौतमबुद्धनगर में 01 मुकदमा आयुध अधि0 का पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

02 मोबाइल चोरी किये गये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में 02 लूट की घटनाये कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूट का माल बेचकर अर्जित किये गये 3000/- रुपये बरामद।

दिनांक 12-09-24 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा के पास से 01 शातिर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार जिसके कब्जे से लूट का माल बेचकर अर्जित किये 3000/- रुपये बरामद।

पूछताछ का विवरण— पूछताछ में अभियुक्त खालिद उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 26.07.2024 को मैने अपने साथी साकिब पुत्र जमशेद निवासी सुभाषनगर दिल्ली के साथ स्कूटी से राज एम्पायर सोसायटी

के सामने एक महिला का मंगल सूत्र छीना था जिसे साकिब ने बेचा था और जो पैसे मिले थे वो हम दोनों साथियो ने बराबर बराबर बाट लिये थे जो पैसे मेरे से बरामद हुये है वो उन्ही पैसों में से बचे हुये है, तथा दिनांक 08/07/2024 को शाम के समय राज गार्डन सिटी सोसायटी राजनगर एक्सटेशन के सामने एक आदमी से मोटर साईकिल से सोने की चैन छीनी थी चैन साकिब ने बेची थी और जो पैसे मिले थे वो हम दोनों ने आपस मे बाट लिये थे।

अभि0 का नाम व पता-

खालिद पुत्र वाजिद निवासी हसन मस्जिद के पास अशोक बिहार लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभि0 खालिद उपरोक्त के विरुद्ध राज्य दिल्ली में 03 अभियोग क्रमशः आईपी स्टेट थाना, भलसवा डेरी थाना, वजीराबाद थाने पर कुल 03 अभियोग लूट के पंजीकृत है ,तथा साहिबाबाद पर चोरी का 01 व आर्मस एक्ट का 01 अभियोग व थाना खेकडा जनपद बागपत पर 01 अभियोग आर्सम एक्ट का पंजीकृत है, कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण -

लूट का माल बेचकर अर्जित किये 3000/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 11.09.2024 की रात्रि थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में पुलिस चैकिंग के दौरान अक्षय एन्कलेव तिराहा एनडीआरएफ रोड चौकी क्षेत्र मधुबन बापूधाम के पास से 01 अभियुक्त दिल्ली से चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 गण का नाम व पता—

1. संदीप उर्फ सन्नी पुत्र सुभाष नि0 मकान नं0- 4552 गली चौधरी सुन्दर सिंह आर्यापुरा,रोशनारा रोड सब्जी मण्डी थाना सब्जी मण्डी दिल्ली हाल नि0- मकान नं0 507/8 वाल्मीकि मोहल्ला मस्जिद के पास, रहीसपुर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गण-

अभियुक्त संदीप उर्फ सन्नी उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में 01 मुकदमा मोटर साइकिल चोरी का थाना मधुबन बापूधाम पर 01 मुकदमा चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी का कुल 02 मुकदमे दर्ज है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त संदीप उर्फ सन्नी नें सख्ती से पूछने पर बताया कि साहब यह मोटरसाइकिल मैने करीब 04 महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी। जिसे मै बेचने की फिराक मे था।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

पुलिस टीम थाना मधुबन बापूधाम।